न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्रीमती शुभम चौधरी, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 58/2021

प्रार्थी : –

श्री रमेश कुमार पुत्र श्री फुसाजी जाति मेघवाल निवासी वाटेरा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी :–

1. श्रीमती मगू पत्नि श्री जेठाजी जाति हरिजन निवासी वाटेरा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. सरपंच ग्राम पंचायत वाटेरा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
3. श्रीमती गैरी देवी पत्नि श्री नाथुराम जाति जणवा निवासी वाटेरा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थिति :–

1. श्री नरपतसिंह देवडा, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री विक्रम परिहार, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या तीन की ओर से।

निर्णय

दिनांक 27.03.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत अप्रार्थी संख्या एक के हक में अप्रार्थी संख्या दो द्वारा जारी पट्टा संख्या 12064 दिनांक 23.07.2019 एवं पट्टा संख्या 26420 दिनांक 23.07.2019 क्षेत्रफल 1500 वर्गफीट को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या एक द्वारा दिनांक 14.06.2022 को उपस्थिति दी गई एवं दिनांक 10.04.2023 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया, जो शामिल मिसल किया गया। प्रकरण के विचाराधीन के दौरान अप्रार्थी संख्या तीन ने जरिए अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जाब्ता दीवानी पेश किया, जिस पर उभय पक्ष को सुना जाकर प्रकरण में श्रीमती गैरी देवी पत्नि श्री नाथूराम को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक होने से उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जाब्ता दीवानी को स्वीकार किया गया एवं श्रीमती गैरी पत्नि श्री नाथूराम को अप्रार्थी संख्या तीन के रूप में पक्षकार बनाया। प्रकरण में दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.05.28 16:49:52 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री नरपतसिंह देवडा द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या दो ने अप्रार्थी संख्या एक के हक मे विधि विरूद्ध पारित पट्टा संख्या 12064 दिनांक 23.07.2019 एवं पट्टा संख्या 26420 दिनांक 23.07.2019 क्षेत्रफल 1500 वर्गफीट का नियम 158 राजस्थान पंचायती राज. नियम 1996 के तहत जारी किया गया है। यह है कि प्रार्थी ग्राम वाटेरा का स्थायी निवासी है और परिवार सहित अपने बाप दादाओं के समय से निवास करता आ रहा है। प्रार्थी का एक कब्जा भोगवटे का एक भूखण्ड ग्राम वाटेरा में आया हुआ है, जिस पर वह बीस–बाईस वर्षों से काबिज है और

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

उसका उपयोग व उपभोग निरन्तर व निर्बाध रूप से गोबर, जलाऊ लकडी आदि रखता हुआ अप्रार्थीगण में जानकारी में करता आ रहा है। प्रार्थी द्वारा उसके भूखण्ड पर पक्का परकोटा भी निकाला गया है एवं प्रार्थी उक्त भूखण्ड पर काबिज होने से अप्रार्थी संख्या दो ने प्रार्थी के नाम कार्यालय पत्र क्रमांक/11/139/2005 दिनांक 23.10.2005 को कब्जा भोगवटा प्रमाण पत्र जारी किया। यह है कि प्रार्थी के उक्त कब्जे भोगवटे के भूखण्ड के पूर्व दिशा में प्रार्थी के भाई श्री गणेश पुत्र श्री फुसाजी मेघवाल का भूखण्ड आया हुआ है, जिसका पट्टा 8403 दिनांक 27.09.2016 में ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया था, उक्त पट्टे में अंकित चतुर्दशी में पश्चिम दिशा में प्रार्थी श्री रमेश कुमार पुत्र श्री फुसाजी मेघवाल का कब्जा दर्शाया गया है, जिससे भी प्रार्थी का उक्त भूखण्ड पर कब्जा होना साबित होता है। वर्तमान में मौके की भौतिक स्थिति अनुसार प्रार्थी के भूखण्ड के पूर्व दिशा में गणेशराम तथा पश्चिम दिशा में अप्रार्थी संख्या एक का भूखण्ड आया हुआ है। यह है कि ग्राम पंचायत द्वारा नियमों को ताक में रखकर एक ही भूखण्ड के दो पट्टे जारी किए है, जिसमें दोनों पट्टों की चतुर्दशी व नाप तथा पट्टा जारी करने की दिनांक व जारी करने वाले सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी एक ही व्यक्ति है तथा एक ही शुल्क की रसीद लेकर दो अलग–अलग पट्टे जारी किए गए है और पट्टा संख्या 26420 नियम 158 के तहत रियायती दर पर दिया गया है, जबकि रियायती दर पर जारी भूखण्ड का अधिकतम नाप एक सौ पचास वर्ग गज से ज्यादा नहीं हो सकता। यह है कि उक्त भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या एक का न तो वर्तमान में कब्जा है और न ही कभी पूर्व में रहा है बल्कि उस पर प्रार्थी काबिज है और उसका उपयोग व उपभोग करता आ रहा है। कानूनन किसी भी भूखण्ड का एक बार ही पट्टा जारी होता है और पट्टा अस्तित्व में रहते हुए दूसरा पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है, जबकि उक्त प्रकरण में एक ही भूखण्ड के दो पट्टे जारी किए गए है, जो गैर कानूनी है। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो द्वारा मौके का भौतिक सत्यापन किए बिना एवं विधिक प्रकिया को नहीं अपनाते हुए यह पट्टा जारी किया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर ग्राम पंचायत वाटेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के हक में जारी पट्टा संख्या 12064 दिनांक 23.07.2019 एवं पट्टा संख्या 26420 दिनांक 23.07.2019 क्षेत्रफल 1500 वर्गफीट को निरस्त करना फरमावें।

अप्रार्थी संख्या एक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में यह व्यक्त किया गया है कि ग्राम वाटेरा में करमेरा तालाब के पास आबादी भूमि पर अप्रार्थी संख्या एक का कब्जा था, जिसका पट्टा बनवाने के लिए सन् 2019 में ग्राम पंचायत वाटेरा को आवेदन किया, परन्तु उसे पट्टा नहीं दिया गया एवं ग्राम पंचायत वाटेरा द्वारा जो अप्रार्थी संख्या एक के नाम विवादित पट्टे जारी किए गए है, जिसकी उसे जानकारी नहीं है और पट्टे का शुल्क भी उसके द्वारा जमा नहीं करवाया गया है। उन्होने शपथ पत्र में अंकित किया है कि करीब तीन वर्ष श्री किशोर कुमार पुत्र श्री नाथाराम के द्वारा रजिस्ट्री हेतु उपतहसील सरूपगंज बुलाया गया था, वहां पर उसके अंगूठे की निशानी ली गई थी। उक्त विवादित पट्टे के सम्बन्ध में उन्हें किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.05.28 16:49:52 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी संख्या तीन के लायक अधिवक्ता श्री [illegible] द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान इस निगरानी मे प्रस्तुत [illegible] में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि पंचायत द्वारा प्रस्ताव [illegible] अप्रार्थी संख्या एक को नियम 158 के तहत पट्टा जारी किया गया है जो नियमानुसार सही है। यह [illegible] कि प्रार्थी का उक्त विवादित भूखण्ड पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है और न ही उसके द्वारा उसका उपयोग व उपभोग किया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूखण्ड पर पक्का परकोटा निकाले जाने का कथन गलत किया गया है। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम में कब्जे भोगवटे का प्रमाण पत्र जारी

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

करने का कोई प्रावधान नहीं है। यह है कि प्रार्थी एवं उसके भाईयों का संयुक्त परिवार था, जिससे पुराना कब्जा होने के कारण प्रार्थी के भाई श्री गणेश पुत्र श्री फुसाजी मेघवाल के नाम से पट्टा संख्या 8403 दिनांक 27.09.2016 को अवश्य जारी किया है, परन्तु रमेश ने उक्त पट्टे के पश्चिम दिशा की जमीन को छोड दिया था, जिससे प्रार्थी रमेश का पश्चिम दिशा की ओर कोई कब्जा नहीं रहा है। प्रार्थी एवं उसके तीनों भाई अलग–अलग निवास करते है एवं प्रार्थी श्री रमेश कुमार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाकर दिया गया है, जिसमें वो निवास करता है, जिससे प्रार्थी का कोई कब्जा वादग्रस्त भूखण्ड पर नहीं माना जा सकता है। यह है कि अप्रार्थी संख्या एक का पुराना कब्जा होने के कारण पट्टा जारी किया गया था, जिसे अप्रार्थी संख्या एक ने ग्राम पंचायत वाटेरा को पट्टा सरेन्डर कर दिया एवं तत्पश्चात प्रार्थिया को उसका पुराना कब्जा होने के कारण प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 23.07.2019 के द्वारा पट्टा संख्या 26420 मिसल संख्या 20 की अनुपालना में दिनांक 23.07.2019 को ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया, जिसका पंजीयन दिनांक 04.09.2019 को उपपंजीयक भावरी में करवाया गया है। यह है कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा वादग्रस्त भूखण्ड को दो लाख इक्यावन हजार रूपए में अप्रार्थी संख्या तीन को विक्रय करने के पश्चात अप्रार्थी संख्या तीन द्वारा दिनांक 29.12.2019 को निर्माण स्वीकृति ग्राम पंचायत वाटेरा से प्राप्त कर चार दीवारी निकाली गई थी। यह है कि अप्रार्थी संख्या तीन द्वारा वादग्रस्त पट्टे के भूखण्ड को श्री रमेश पुत्र श्री जेठाजी हरिजन को जरिए पंजीबद्ध विक्रय विलेख के बेचान किया है, जिससे श्री रमेश पुत्र श्री जेठाजी हरिजन वाटेरा को पक्षकार बनाए बिना निगरानी प्रस्तुत की है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना फरमावें।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेज के साथ निगरानी प्रार्थना पत्र की पत्रावली का भलिभॉंति अवलोकन किया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या एक को उक्त विवादित पट्टा संख्या 12064 दिनांक 23.07.2019 क्षेत्रफल 1500 वर्गफीट सरपंच ग्राम पंचायत वाटेरा द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(2) के तहत जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(2) के अनुसार–

ऐसे परिवार, जिनके पास कहीं भी कोई गृह/गृह स्थल नहीं है और जिनका वर्ष 2003 तक झुग्गी झोंपडी/कच्चे गृह के निर्माण के तौर पर आबादी भूमि पर कब्जा है, अधिकतम 300 वर्गगज तक कब्जे के मुफ्त विनियमितीकरण के हकदार होंगे। ऐसी भूमि का पट्टा (प्ररूप 23ख में) ऐसी महिला के नाम से जारी किया जायेगा जो ऐसे परिवार की मुखिया हो।

इसके पश्चात अप्रार्थी संख्या एक के हक में दूसरा पट्टा संख्या 26420 दिनांक 23.07.2019 क्षेत्रफल 1500 वर्गफीट का सरपंच ग्राम पंचायत वाटेरा द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 158 के तहत जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 158के अनुसार–

भूमियों का कमजोर वर्गों को आवंटन— (1) पंचायत, गांव आवंटितियों में 300 वर्गगज तक की आबादी भूमि अनुसूचित [illegible] स्वच्छकारों, अनुसूचित जनजातियों, पिछडे वर्गों के सदस्यों, [illegible] आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, एकीकृत ग्रामीण विकास [illegible] चयनित [illegible], विकलांगों, यायावर जनजातियों, गाडियां लुहारों को जिनके [illegible] गृह नहीं है, और ऐसे बाढग्रस्तों को भी जिनके गृह बह गए है या गृह/गृहस्थल बा[illegible] के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गए है, रियायती दरों पर आवंटित कर सकेगी (और ऐसी भूमि का पट्टा 23–ग में जारी किया जा सकेगा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.05.28 16:49:52 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि उक्त विवादित भूखण्ड के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत वाटेरा द्वारा जरिए पत्र क्रमांक/11/139/2005 दिनांक 23.10.2005 द्वारा प्रार्थी के हक में कुल 960 वर्गफीट का कब्जा भोगवटा प्रमाण पत्र जारी किया गया है। चूंकि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 एवं राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत को कब्जा भोगवटा/स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है। इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार द्वारा पूर्व में स्पष्ट निर्देश प्रदान किए गए है कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी कब्जा/स्वामित्व प्रमाण पत्र वैध नहीं है। इसके उपरान्त कार्यालय जिला कलक्टर सिरोही द्वारा भी अपने पत्रांक/पंचायत/02/339 दिनांक 18.05.2002 को आदेश जारी कर समस्त ग्राम पंचायतों व पंचायत समितियों को सूचित किया था कि राजस्थान पंचायतीराज राज नियम 1996 दिनांक 30.12.1996 को लागू हो चुके है एवं इस नियम के तहत कब्जे भोगवटे प्रमाण पत्र जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः ग्राम पंचायत वाटेरा द्वारा प्रार्थी के हक में दिनांक 23.10.2005 को कब्जा भोगवटा प्रमाण पत्र जारी किया था, जो राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1996 के लागू होने के पश्चात जारी किया है। अतः राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी दिशा–निर्देश एवं कार्यालय जिला कलक्टर सिरोही द्वारा दिनांक 18.05.2002 को जारी आदेश के अवलोकन से ग्राम पंचायत वाटेरा द्वारा दिनांक 23.10.2005 को प्रार्थी के हक में जारी उक्त कब्जा भोगवटा प्रमाण पत्र वैध नहीं पाया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि ग्राम पंचायत वाटेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या के हक में एक ही भूखण्ड के एक ही दिन में दो अलग–अलग पट्टे जारी किए गए है, जबकि राजस्थानी पंचायतीराज नियमों में एक भूखण्ड का एक ही पट्टा जारी करने का प्रावधान है। यदि ग्राम पंचायत द्वारा पहला पट्टा गलती से जारी किया गया हो तो उसे ग्राम पंचायत को पहले सक्षम न्यायालय से निरस्त करवाकर ही दूसरा पट्टा जारी किया जाना चाहिए था, परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा नहीं किया जाकर एक ही भूखण्ड के एक ही दिन दो पट्टे जारी किए गए है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा उक्त विवादित पट्टे का बेचान जरिए पंजीकृत विक्रय विलेख के अप्रार्थी संख्या तीन श्रीमती गेरी देवी पत्नि श्री नाथूराम को दिनांक 04.08.2019 को किया गया था, परन्तु ग्राम पंचायत वाटेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के हक में जारी दोनों ही पट्टों की शर्त संख्या तीन में यह स्पष्ट किया गया है कि आंवटिती और उसके वारिसों को किसी भी व्यक्ति को भूमि अन्तरण करने का अधिकार नहीं होगा और शर्त संख्या चार में उपबंधित के सिवाय भूमि आंवटिती के स्वयं के कब्जे में रहेगी, परन्तु अप्रार्थी संख्या एक के द्वारा उक्त वादग्रस्त पट्टेशुदा भूखण्ड को अप्रार्थी संख्या तीन को बेचान किए जाने से पट्टे में वर्णित शर्त संख्या तीन का उल्लघंन किया जाना प्रतीत होता है। अप्रार्थी संख्या तीन के अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि अप्रार्थी संख्या तीन द्वारा वादग्रस्त पट्टे के भूखण्ड को श्री रमेश पुत्र श्री जेठाजी हरिजन को जरिए पंजीबद्ध विक्रय विलेख [illegible] श्री रमेश पुत्र श्री जेठाजी हरिजन निवासी वाटेरा को प्रकरण में पक्षकार [illegible] गया है, इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों [illegible] से यह [illegible] जाता है कि अप्रार्थी संख्या तीन के अधिवक्ता द्वारा अपने इस [illegible] प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है एवं [illegible] के पंजीबद्ध विक्रय विलेख की प्रति प्रस्तुत की है, जिससे यह साबित होता हो कि अप्रार्थी संख्या तीन द्वारा उक्त वादग्रस्त भूखण्ड का बेचान श्री रमेश पुत्र श्री जेठाजी हरिजन निवासी वाटेरा को किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.05.28 16:49:52 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर सरपंच ग्राम पंचायत वाटेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के हक में जारी पट्टा संख्या 12064 दिनांक 23.07.2019 एवं पट्टा संख्या 26420 दिनांक 23.07.2019 क्षेत्रफल 1500 वर्गफीट को निरस्त किया जाता है। साथ ही ग्राम पंचायत वाटेरा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त भूखण्ड की मौके पर कब्जे व मालिकी स्वामित्व की जांच कर एवं राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार जांच कर नियमानुसार नए सिरे से पट्टा जारी करें।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(शुभम चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.05.28 16:49:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner